

U.D.A
542
02/02/2024

संचिका सं०-अभि० निदे०-03/स्था०-17/2023-.....24...../

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
अभियोजन निदेशालय।

प्रेषक,

राज कुमार सिंह
निदेशक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय।

सेवा में,

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ/गिरिडीह/रामगढ़,
झारखण्ड।

दिनांक.....29.01.24

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन 01 - अभियोजन निदेशालय के विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल रू०. 2700000/- (सताईस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय के स्थापना मद कुल रू०. 2700000/- (सताईस लाख रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-01-अभियोजन निदेशालय के विभिन्न इकाईयों अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय है।

3. उक्त राशि की निकासी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे।

4. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला/अनुमंडल कोषागार से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय/वित्त अंकेक्षण से कराकर प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा एवं निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यार्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

7. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 2561/वि(2) दिनांक 17.04.98 का अनुपालन करना अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इस पत्र के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि स्थापना मद में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही राशि की निकासी की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. राशि की निकासी में झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाय।

9. राशि की निकासी में वित्त विभाग का पत्रांक-191/बजट, दिनांक 30.03.2009 का परिपालन किया जायेगा।

10. किसी भी प्रकार के अनियमित, अवैध, नियम विरुद्ध एवं दोहरी निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अतएव राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच कर ली जाएगी कि राशि की निकासी वित्तीय नियमवाली तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप की जा रही है।

ह0/-

(राज कुमार सिंह)
निदेशक अभियोजन।

ज्ञापांक-अभि0निदे0-03/स्था0-17/2023...../

राँची, दिनांक- / /2024 ई0।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ/गिरिडीह/रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राज कुमार सिंह)
निदेशक अभियोजन।

ज्ञापांक-अभि0निदे0-03/स्था0-17/2023.....24/

राँची, दिनांक-29/01/2024 ई0।

प्रतिलिपि- योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखंड, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखंड राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह विभाग, झारखंड राँची/अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची/संबंधित जिले के लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार सिंह)
निदेशक अभियोजन।

कार्यालय का नाम	विस्तृत शीर्ष 01-वेतन एवं भते	विस्तृत शीर्ष 02 यात्रा व्यय-13-देशीय यात्रा भता	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-15 कार्यालय व्यय	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-21-सेमिनार/समा रोह	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवा	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-17-मशीनरी एवं उपकरण	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-37-विद्युत	विस्तृत शीर्ष 01-वेतन एवं भते-06-पुरस्कार	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-32-पुस्तकालय	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-34-वर्दी सामग्री	विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय	कुल	
दिनांक- 29.01.24	पत्रांक- 24	स्था0-17/2023	अभि0 निदे0-03	सचिका संख्या	अभि0 निदे0-03	स्था0-17/2023	पत्रांक- 24	दिनांक- 29.01.24	पत्रांक- 24	स्था0-17/2023	अभि0 निदे0-03	सचिका संख्या	अभि0 निदे0-03
1	अभि0 निदे0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
2	धनबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	जमशेदपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	रौंकी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	बोकारो	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	देवघर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	सरायकेला	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	
8	चाण्डिल अनुमंडल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	गिरिडीह	2300000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	2450000	
10	पलामू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	खूंटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	लोहरदगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	गुमला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	सिमडेगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	लातेहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	गढ़वा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	वाईबासा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	बतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	कोडरमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	दुमका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	जामताड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	साहेबगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	गोडडा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	पाकुड़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	घाटशिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	बेरमो	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	राजमहल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	रामगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000	
29	मधुपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	बक्रधरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	महाविद्युता कार्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल योग	2300000	0	0	0	0	100000	150000	0	0	150000	0	2700000	

निदेशक अभिवाजन।